

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

संदर्भ:मा.सं./ई पी एस 1995/2019

दिनांक : 24.09.2019

परिपत्र

**विषय: ईपी एस 1995 के अंतर्गत 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की पूर्णता पर पेंशन के सम्बंध में**

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत बीएचईएल झांसी प्लांट के कुछ कर्मचारियों ने 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की पूर्णता पर पेंशन लाभ लेने का विकल्प चुना था जिसके अंतर्गत 58 वर्ष के बाद 2 साल का अतिरिक्त अंशदान (मासिक अंशदान के भुगतान के रूप में) ईपीएफओ को भेजा जाता रहा है। इस संदर्भ में भेल झांसी के कई कर्मचारियों द्वारा 60 वर्ष पूरा होने पर पेंशन आवेदन पत्र कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया। परंतु क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा 60 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन जारी करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्वानुमति ना होने के कारण उन सभी सम्बंधित कर्मचारियों के पेंशन आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

इस संदर्भ में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर के उच्च अधिकारियों से मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के द्वारा बार-बार ऐसे मामलो को स्वीकार करने का आग्रह किया गया। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों के आवेदन का मामला ई.पी. एफ. ओ. के ईडीपी सिस्टम के सीमित प्रोविजन के कारण, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में लंबित है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कानपुर कार्यालय से इस दिशा में स्पष्ट दिशा निर्देश एवम मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके कारण ये मामले अभी भी लम्बित हैं।

अतः उपरोक्त बिंदुओं के दृष्टिगत रखते हुए ऐसे समस्त कर्मचारियों जिन्होंने ने 58 के स्थान पर 60 वर्ष पर पेंशन का विकल्प का चयन किया है, को सूचित किया जाता एवम उनको परामर्श दिया जाता है कि वे 58 वर्ष की पूर्णता पर ही अपना पेंशन लाभ का विकल्प प्रयोग करने हेतु [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in) पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने में सेवांत लाभ अनुभाग/कल्याण अनुभाग से सम्पर्क करें।

*Md. Afzal Alam*

(डॉ मो आफताब आलम)  
कल्याण अधिकारी

वितरण:

ई- मेल द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार  
समस्त सूचना पट्ट